Helpline **1064** **94135-02834**

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **अलवर में आबकारी कॉन्सटेबल एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 50 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *31 मार्च, गुरूवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रामजस कॉन्सटेबल आबकारी वृत अलवर (पूर्व) एवं उसके दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) दिनेश यादव निवासी फौजी कॉलोनी अलवर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी** ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके शराब ठेके को निर्बाध रूप से चलाने देने की एवज में रामजस कॉन्सटेबल आबकारी वृत अलवर (पूर्व) द्वारा अपने दलाल दिनेश यादव निवासी फौजी कॉलोनी अलवर के माध्यम से बंधी/कमिशन के रूप में **90 हजार** रूपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अलवर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजयसिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री महेन्द्र कुमार उप अधीक्षक पुलिस** मय टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामजस पुत्र मंगतूराम यादव निवासी नंगली मुंशी पोस्ट शाहपुर जिला अलवर, हाल कॉन्सटेबल आबकारी वृत अलवर (पूर्व) तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) दिनेश यादव पुत्र रामसिंह यादव निवासी फौजी कॉलोनी मन्ना का रोड़ अलवर को परिवादी से **50 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपीगण द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान दिनांक 30.03.2022 को परिवादी से **30 हजार रूपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन.** के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।